कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक– 3705 /13–1 ललितपुर दिनांकः– 16 मार्च/2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।

विषय– **जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जाखलौन–बिरधा, धौर्रा, बालावेहट, कड़ेसरा कला और मउ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– **मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्राक– 2631/11 – सी– FP/ UP/ Water/155091/2022 दिनांक 16.02.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्राक– 2631/11 – सी– FP/ UP/ Water/155091/2022 दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रकरण में 06 बिन्दुओं पर कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया, जो परिवेश पोर्टल से कार्यालय वन संरक्षक, झांसी के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 17.02.2023 को प्राप्त हुआ। तदोपरान्त उक्त पत्र को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रयोक्ता विभाग स्तर पर दिनांक 20.02.2023 को प्रेषित कर दिया गया। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2023 को परिवेश पोर्टल पर The correction have been made as per the instruction receive लिखते हुये इस कार्यालय को वापस भेज दिया गया, प्रयोक्ता विभाग द्वारा उक्त कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में अपने कार्यालय से न ही पत्र लिखा गया और न ही संशोधित अभिलेख ऑफलाइल/ऑनलाइन किसी माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। चूंकि उपरोक्तानुसार द्वारा आज वर्तमान दिवस तक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–2631/11–सी–FP/UP/Water/155091/2022 दिनांक 16.02.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण सम्बन्धी कोई अभिलेख/सूचना प्रयोक्ता विभाग द्वारा इस **कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय द्वारा यथासम्भव रूप से किया जा रहा है।** प्रकरण नियमानुसार संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आपत्ति	**भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण**
1– ऑनलाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा उल्लघंन किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उल्लघंन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचतबद्धता, एच–2 केस के फलस्वरूप जमा धनराशि की रसीद तथा एच–2 को प्रशमित करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	उपरोक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन किया गया हे, जिसके फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रमाणित एच–2 केस जमा की जाने वाली रसीद एवं एच–2 केस को प्रशमित करने का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। प्रयोक्ता विभाग से अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, डोढ़ाघाट ललितपुर के पत्र सं0–563/W–27/28, दिनांक 03.03.2023 (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) के अनुसार मै0 गायत्री रामकी–एस0पी0एम0एल0 जे0वी0 का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त टिप्पणी अनुसार दण्डात्मक एन0पी0बी0 जमा करने की वचनबद्धता प्रयोक्ता विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
2– ऑनलाइन भाग–2के क्रमांक 13 में 4.04 हे0 दुगुनी अवनत वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल, जिओ रिफरेन्स डिजिटल मैप, एस0ओ0आई0 टोपोशीट, उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2के क्रमांक 13 में 4.04 हे0 दुगुनी अवनत वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल, जिओ रिफरेन्स डिजिटल मैप, एस0ओ0आई0 टोपोशीट, उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दी गयी है।

3– प्रस्ताव की दोनो प्रतियों में संलग्न किये गये जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। अतः मोहरयुक्त जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव की दोनो प्रतियों में संलग्न किये गये जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी का मोहरयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4–हार्डकॉपी के भाग–2 के क्रमांक–9 एंव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लघंन न किये जाने का उल्लेख किया है, जबकि ऑनलाइन भाग–2 में उल्लघंन किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो विरोधाभास है। अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर द्वारा उक्त प्रस्ताव का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13.11.2022 से 21.11.2022 तक किया गया है। उक्त समयावधि में प्रयोक्ता विभाग द्वारा वनभूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया था। प्रयोक्ता विभाग द्वारा उल्ल्घंन दिनांक 03.02.2023 को किया गया है। अतः संशोधित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न करना संभव नहीं है।
5– ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–15 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट को डिलीट कर उपरोक्तानुसार संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–15 में पूर्व में अपलोड की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
6– प्रस्ताव मे संलग्न पेनड्राइव में अपलोड की गयी गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन में अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाइल से भिन्न है तथा पेनड्राइव में प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में सलंग्न करें।	प्राप्त गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं प्रस्ताव में संलग्न एक समान के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में ट्रान्सफर कर दी गयी है।

भवदीय,

16/03/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

पत्रांक :– /सम दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झांसी।
4. आयुक्त झांसी मण्डल झांसी।
5. जिलाधिकारी, ललितपुर।
6. अपर जिलाधिकारी/नमामी गंगे, ललितपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, डोढ़ाघाट ललितपुर।

16/03/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर